मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 1813-2240-एक (3) भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 1967—श्रावण 16, 1889

प्रति,

शासन के सर्व विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर,
सर्व आयुक्त,
सर्व विभागाध्यक्ष,
सर्व कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय.—विभागीय जांच में प्रक्रिया संबंधी दोष दूर करना-लोक लेखा समिति का सुझाव

ऐसा देखा गया है कि विभागीय जांच की प्रक्रिया में दोष के कारण की कई मामलों में दण्डित अपराधी का दण्ड निरस्त हो जाता है. लोक लेखा समिति ने यह सुझाव दिया है कि शासन को इस बात की जांच करनी चाहिये कि विभागीय जांच करने वाले अधिकारी को सही प्रक्रिया का ज्ञान था या नहीं और यदि नहीं था तो उसके लिये उन्हें किस सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिससे इस प्रकार के मामले यथा सम्भव कम किये जा सकें. शासन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 जारी किये है जिसमें विभागीय जांच करने के लिये कार्यप्रणाली का विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है. अत: जांच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि विभागीय जांच के संबंध में इन नियमो में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार ही कार्यवाही पूरी करें.

2. आनुशासिक प्राधिकारी का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नियमानुसार तैयार किया गया है या नहीं इसकी जांच ठीक प्रकार करें और उसके बाद अगली कार्यवाही, जैसा कि उपर्युक्त नियम 15 में उल्लिखित है, आरम्भ करें.

3. शासन सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि भविष्य में विभागीय जांच में कार्यविधि संबंधी त्रुटियां न होने दें ताकि इस प्रकार की शिकायत का कोई अवसर न आवे.

मो. ला. चोपड़ा
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.